न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/19/2018	04.07.2018	02.03.2022

बउनवान

1– हुक्म चंद पुत्र हीरालाल जाति यादव उम्र 68 वर्ष निवासी मौहल्ला रथरखाना पुलिस लाईन के पास, अलवर (राजस्थान)

–– अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अलवर

2– पूर्ण पुत्र चन्दर जाति यादव,

3– किशनलाल पुत्र चन्दर जाति यादव,

4– गिर्राज पुत्र चन्दर जाति यादव निवासीयान ग्राम रूपवास तहसील व – जिला अलवर

5– जगदीश पुत्र जयसिंह जाति यादव निवासी मौहल्ला रथखाना पुलिस लाईन के पास, अलवर (राजस्थान)

–– रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या
11 दिनांक 05.02.1967 वाके ग्राम भजीट

: निर्णय :

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इंतकाल संख्या 11 दिनांक 05–02–1967 को अपीलान्ट के दादा छोटेलाल के फौत होने पर उसके वारीसान के नाम खोला गया जिस इंतकाल में अपीलान्ट प्रार्थी का नाम हुक्म चंद के स्थान पर हुक्मा लिख दिया तथा पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर हीरा कर दिया। जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नही थी क्योंकि अपीलान्ट उस समय नाबालिग था तथा अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास सन् 1952 में हो गया तथा दादा छोटेलाल का स्वर्गवास सन् 1965 में हुआ था तथा दादा छोटेलाल की विरासत का इंतकाल अपीलान्ट के नाम से 1/3 हिस्से का दर्ज हुआ तथा 1/3 हिस्सा चन्दर पुत्र छोटेलाल के नाम दर्ज हुआ। जिनका स्वर्गवास हो गया उनके वारीस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 है। तथा 1/3 हिस्से का इंतकाल जयसिंह के नाम दर्ज हुआ। जिनका भी स्वर्गवास हो गया। जिनका वारीस रेस्पोडेन्ट सं0 5 है। अपीलान्ट ने जब क्रेडिट कार्ड के लिये आवेदन किया तो अपीलान्ट को उक्त गलत नाम की जानकारी हुई। जिसको दुरुस्ती के बावत अपीलान्ट ने अभियान में दिनांक 15–05–18 को आवेदन किया वहां पर समस्त रिर्पोट करने के पश्चात् अपीलान्ट को इंतकाल की अपील करने के लिये कहा। रफाय हुज्जत से बचने के लिये दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का नाम हुक्म चंद पुत्र हीरालाल है, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम हुक्म चंद पुत्र हीरालाल दर्ज है तथा हुक्मा पुत्र हीरा प्रार्थी को घर पर बोलते नाम से लिख दिया। हुक्मा

उपखण्ड अधिकारी
(राज0)

पुत्र हीरा अलग से कोई व्यक्ति नहीं है। अपीलान्ट को ही छोटे नाम से हुक्मा पुत्र हीरा कहते थे। जोकि दुरूस्त किये जाने योग्य है। इंतकाल ग्राम पंचायत भजीट के द्वारा खोला गया है। जिसकी अपील अदालत श्रीमान् द्वारा श्रवण योग्य है। निर्णय दिनांक 05-02-1967 का है। जिसकी अपील दफा 5 के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इंतकाल में हुक्मा पुत्र हीरा के स्थान पर हुक्म चंद पुत्र हीरालाल दर्ज किया जावे व अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो प्रदान की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पारेन्ट जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट्स वकालतन उपस्थित आये एवं अपील का जवाब दिये बिना अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपील मंजूर करने का कथन किया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात एवं विरासत नामान्तकरण संख्या 11 निर्णय दिनांक 05.02.1967 का अवलोकन किया विरासत इंतकाल संख्या 11 में अपीलान्ट का नाम हुकमा एवं अपीलान्ट के पिता का नाम हीरा दर्ज है। अपीलान्ट ने कथन किया है,कि अपीलान्ट का वास्तविक नाम हुकम चन्द पिता का नाम हीरा लाल है। अपने कथन की ताईद में अपीलान्ट नें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1967 की अंक तालिका, सहायक निदेशक पेशंन एवं पेशनर्स वैलफैयर विभाग द्वारा जारी पेशंन, मैडिकल डायरी,निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, एवं आधार कार्ड की छाया प्रति पेश की है। समस्त दस्तावेजों में अपीलान्ट का नाम हुक्म चंद पुत्र हीरालाल अंकित है। उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलोच्य आदेश बाबत इन्काल संख्या 11 दिनांक 05.02.1967 अपास्त किया जाता है। तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते है,कि अपीलान्ट एवं उसके पिता का सही नाम हुक्म चंद पुत्र हीरालाल जाति अहीर के नाम से पुनः नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर(राज०)

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर(राज०)